क्रम संख्या–152

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2006 ई0
आश्विन 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 840/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 13, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2006)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) को उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

उत्तरांचल विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में अधिनियमितः–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, सन् 1947 की धारा 11ग का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय—समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 11—ग की उप धारा (3) निकाल दी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 12ख का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

"12ख (1) कार्य सम्पादन के लिए ग्राम सभा की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगाः प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम सभा की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।

(2) ग्राम सभा की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसे नियत की जायें।"

मूल अधिनियम की धारा 14 का संशोधन

4—धारा 14 में—

(क) शीर्षक में शब्द "तथा उपप्रधान" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

"(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाये और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

(1—क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।"

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिया जायेगा।

नई धारा 14—ख का अन्तःस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 14—क के बाद निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"14—ख (1) उप प्रधान का हटाया जाना—ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान को हटा सकती है।

(2) उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) यदि बैठक में प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी उप प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप प्रधान को हटाने की प्रक्रिया भी जो ऐसी बैठक में अनुसरित की जाय, वही होगी जो नियत की जाए।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

6–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथाप्रवृत्त) की, जिसे आगे अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 61 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:– उ0प्र0 एक्ट नं0 33, 1961 की धारा 61 का संशोधन

"(1) कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।"

7–मूल अधिनियम की धारा 84 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:– धारा 84 का संशोधन

"(1) कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके संघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।"

8–मूल अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) में, सूची में, सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा से सम्बन्धित मद "च" में खण्ड (क) निकाल दिया जायगा। धारा 239 का संशोधन

आज्ञा से,
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Panchayat Raj Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2006).

As Passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 15, 2006.

No. 840/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, October 17, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2006
(ACT NO. 13 OF, 2006)

(As passed by the Uttaranchal Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

Enacted by the Uttaranchal Vidhan Sabha in the Fifty-seventh Year of the Republic of India:--

Chapter I

Preliminary

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat Laws (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force atonce.

Chapter II

Amendment of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

Amendment of section 11-C of the United Panchayat Raj Act no. 26 of 1947

2. In section 11-C of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

Substitution of section 12-B

3. For section, 12-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:--

"12-B (1) A Gram Sabha shall ordinarly meet for the meetings of Gram Sabha transaction of business at least once every month but two months shall not intervene between two consecutive meetings:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of Gram Sabha, shall be within thirty days from the date of its constitution.

(2) The meetings of the Gram Sabha shall be held at such place and in such manner as may be prescribed."

Amendment of section 14

4. In section 14 of the principal Act--

(a) In the heading the words "and Up- Pradhan" shall be omitted.

(b) For sub-section (1) the following sub-section shall be substituted; namely-

"(1) The Gram Sabha may at a meeting specially convened for thr purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Sabha present and voting.

(1-A) Notwithstanding anything contained in section 11 one-third of the members of the Gram Sabha shall form the corum for a meeting under sub-section (1)."

(c) In sub-section (3) for the words "two years" the words "one year" shall be substituted.

Insertion of new section 14-B

5. After section 14-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

"14-B (1) Removal of Up-Pradhan--The Gram Sabha may, at a meeting specially convened for the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-thirds of the members of the Gram Panchayat.

(2) A meeting for the removal of a Up-Pradhan shall not be convened within two years of his election.

(3) If the motion is not taken up for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Up-Pradhan shall be convened within two years of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of the section, the procedure for the removal of a Up-Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed."

Chapter–III

Amendment of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961

Amendment of section 61 of U.P. Act no. 33 of 1961

6. In section 61 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) A Zila Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting of a Zila Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 84

7. In section 84 of the principal Act, for sub-section (1), the follwing sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) A Kshetra Panchayat shall meet for the transaction of business at least once in every two months:

Provided that the date to be appointed for the first meeting or a Kshetra Panchayat, shall be within thirty days from the date of its constitution."

Amendment of section 239

8. In section 239 of the principal Act In sub-section (2), in the list in item 1 relating to public safety and convenience, clause (a) shall be omitted.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधायी/513–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।